North Karanpura Transco Limited

(Program Under Government of India)
Jayprabha Nagar , Behind Celebration Marriage Hall
Near Markham College Hazaribagh 825301
Email Id: northkaranpuratransco@gmail.com

Ref: NKTL(s)/2020-21/F130

Date: 18-08-2021

To,
Divisional Forest Officer
Gaya Division

Subject: Diversion of 5.4370 Ha. of Forest Land towards "Construction of 400 kV D/C North Karanpur- Gaya Transmission Line (Bihar portion)" in the state of Bihar in-favor of M/s. North Karanpura Transco Limited. Regd. - FP/BR/TRANS/41417/2019:- Submission of EDS compliance.

Reference: 1. EDS raised by Integrate Regional Office MoEF & CC vide letter no FP/BR/ TRANS/ 41417/2019/4815 date 12.08.2021
2. APCCF (CAMPA) Cum Nodal officer (Forest Conservation) Bihar, Patna letter no VA. SA/57/2019-748 dated 16/08/2021

Dear Sir,

We hereby submit point wise replies for EDS raised by Integrate regional office MoEF & CC vide letter no FP/BR/ TRANS/ 41417/2019/4815 date 12.08.2021 & APCCF(CAMPA) Cum Nodal officer (Forest Conservation) Bihar, Patna vide letter no VA. SA/57/2019-748 dated 16.08.2021 for your kind consideration and further processing of proposal please:

S. No	Observation	Replies
1.	Details of tree enumeration in total forest area proposed for diversion is not uploaded and mentioned in reply.	Uploaded in addition document in Part 1.
2.	Details of Forest Area Calculation i.e. length of TL in Forest area X RoW of the TL is uploaded. But as per Ministry guidelines , ROW for the 400 KV D/C Transmission Line should be 46 m but in the instant proposal in some place Row is taken more than 46 m (Naketeya Village- 46.63m, Bedauli Village- 47.63m, Nadarpur village-46.26m. It may be Justified.	Width more than 46 m (Naketeya Village-46.63m, Bedauli Village- 47.63m, Nadarpur village-46.26m is due to irregular shape of forest plot and tilt position of plot. Length of plot (centre line) has been calculated based on linear distance between entry and exit point in forest plot.

Yours Faithfully

Chandrashekhar 18/8/21

Chandra Shekhar Singh
Assistant Manager-Projects
North Karanpura Transco Limited
Ranchi

For, M/s. North Karanpura Transco Limited.
(Authorized Signatory)
Copy to : APCCF (CAMPA) Cum Nodal officer (Forest Conservation) , Patna.

Annexure II

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय :—वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, गया वन प्रक्षेत्र।

पत्रांक— 867 दिनांक— 12/10/2020

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
गया वन प्रमंडल, गया।

विषय :— गया जिलान्तर्गत 400 के०वी० डी०सी० नार्थ कर्णपुरा—गया ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् 5.4370 हे० वन भूमि का अपयोजन का प्रस्ताव

प्रसंग :— भवदीय कार्यालय पत्रांक 3801 दिनांक 07.09.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है श्रीमान् के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में गया जिला अंतर्गत 400 के०वी० डी०सी० नार्थ कर्णपूरा—गया ट्रान्समिशन लाइन निर्माण का संयुक्त स्थलीय जाँच वनपाल गया के साथ कराया गया। जाचोंपरान्त वृक्षों की संख्या नगण्य पाई गई (जाँच प्रतिवेदन) का छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

यह श्रीमान् को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नकः— यथोक्त ।
संयुक्त स्थलीय जाँच की छायाप्रति।

विश्वास भाजन

12/10/20

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
गया वन प्रक्षेत्र, गया।

400KV NORTH KARANPURA TO GAYA TL LINE
TREE MARKING OF FOREST BHULUA
LOC 112/0 TO LOC 113/0

TREE LIST

SL NO	NAME OF TREE	TREE MARK NO	GRITH (M)	HIGHT (M)	RIGHT/LEFT	BETWEEN SPAN
1	NO	0	0	0	L	112/0
2	NO	0	0	0	L	
3	NO	0	0	0	L	
4	NO	0	0	0	L	
5	NO	0	0	0	R	
6	NO	0	0	0	R	
7	NO	0	0	0	R	
8	NO	0	0	0	R	
9	NO	0	0	0	R	
10	NO	0	0	0	R	
11	NO	0	0	0	R	
12	NO	0	0	0	R	
13	NO	0	0	0	R	
14	NO	0	0	0	L	
15	NO	0	0	0	L	
16	NO	0	0	0	L	
17	NO	0	0	0	L	113/0

Joint verification done with Ranger Officer on date 26/08/2020

[signature]

[illegible] 112 [illegible] 113 [illegible]

26.08.2020

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया

Annexure II

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालयः—वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बाराचट्टी वन प्रक्षेत्र, बाराचट्टी (गया)

पत्रांकः— 542, दिनांकः— 22/10/2020

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गया वन प्रमण्डल, गया।

विषयः—गया जिलान्तर्गत 400 के0वी0 डी0सी0 नार्थ कर्णपुरा—गया ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वन (सरक्षण) अधिनियम—1980 के तहत् 5.4370 हे0 वन भूमि का अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंगः— आपका कार्यालय पत्रांकः— 3801, दिनांकः— 07.09.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधिन पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि मेरे द्वारा और प्रयोक्ता एजेन्सी नार्थ कर्णपुरा गया ट्रांसमिशन के साथ संयुक्त रुप से सर्वे किया गया है, जिसकी विवरणी कंडिका इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही

अतः श्रीमान् को सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नकः- यथोपरि।

विश्वासभाजन

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
बाराचट्टी वन प्रक्षेत्र बाराचट्टी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया

400KV NORTH KARANPURA TO GAYATL LINE
TREE MARKING OF FOREST
LOC 93/0 TO LOC 93/1

TREE LIST

SL NO	NAME OF TREE	NOS	GRITH (M)	HIGHT (M)	RIGHT/LEFT	BETWEEN SPAN
1	katila Jhari		0	0	L	93/0
2	No	0	0	0	L	
3	No	0	0	0	L	
4	No	0	0	0	L	
5	No	0	0	0	R	
6	No	0	0	0	R	
7	No	0	0	0	R	
8	No	0	0	0	R	
9	No	0	0	0	R	
10	No	0	0	0	R	
11	No	0	0	0	R	93/1

Today site visit of Forest Dept and NKTL in the Loc 93/0 to 93/1. Naktia village on date of 01/10/2020

NKTL Staff

Madan [illegible]

01/10/

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया

1/10/2020

Shouli Kumari (forest guard)
1/10/20

400KV NORTH KARANPURA TO GAYA TL LINE
TREE MARKING OF FOREST
VILL - NAKATEYA
LOC 92/2 TO LOC 92/5
TREE LIST

SL NO	NAME OF TREE	TREE MARK NO	GRITH (M)	HIGHT (M)	RIGHT/LEFT	BETWEEN SPAN
1	palas	1	0.12	1.5	L	92/2
2	Tar	2	1.2	10	L	
3	Neem	3	0.8	6	L	
4	NO	0	0	0	L	
5	NO	0	0	0	R	
6	NO	0	0	0	R	
7	NO	0	0	0	R	
8	NO	0	0	0	R	
9	NO	0	0	0	R	
10	NO	0	0	0	R	
11		0	0	0	R	92/3
12	palas and katila Jhar		50 pcs	1.5	R	
13	NO	0	0	0	R	
14	NO	0	0	0	L	
15	NO	0	0	0	L	
16	NO	0	0	0	L	
17	NO	0	0	0	L	
18	NO	0	0	0	L	
19	NO	0	0	0	L	
20	NO	0	0	0	L	
21	NO	0	0	0	L	
22	NO	0	0	0	L	
23	NO	0	0	0	L	92/4
24	NO	0	0	0	L	
25	NO	0	0	0	L	
26	NO	0	0	0	L	
27	NO	0	0	0	L	
28	NO	0	0	0	R	
29	NO	0	0	0	R	
30	NO	0	0	0	R	
31	NO	0	0	0	R	
32	NO	0	0	0	R	
33	NO	0	0	0	R	92/5

Forest
Shruti Kumari (Forest guard)
1/10/20

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया

Today [illegible] [illegible] Forest Dept and NKTL Staff in the Loc 92/2 to 92/3 to 33/4 [illegible] the village of NAKATEYA on the Date 01/10/2020

NKTL Staff
M. [illegible]

Forest [illegible]

TREE ENUMERATION LIST IN FOREST PATCHES

NAME OF LINE - NORTH KARNAPURA - GAYA T/L

OWNER - NORTH KARNAPURA TRANSCO LIMITED

DISTRICT FOREST OFFICE - GAYA , BIHAR

RANGE OFFICE - BARACHATI, BIHAR

TREE ENUMERATION LIST

Sl no	Section	Mark no	Name of tree	Girth in mtr	Approx height in mtr	Position of tree		Village name	Remarks
						Left	Right		
1	AP 101 TO AP 102 (NH-2 CROSSING)	1	Shisham	1.35	9	Left		Vadiya	
2		2	Shisham	1.05	9	Left			
3		3	Shisham	1	6	Left			
4		4	Shisham	0.75	5	Left			
5		5	Shisham	1.4	8	Left			
6		6	Shisham	0.8	4	Left			
7		7	Shisham	0.55	3	Left			
8		8	Shisham	1.05	7	Left			
9		9	Shisham	1.1	8	Left			
10		10	Shisham	1.08	8	Left			
11		11	Shisham	1.05	6		Right		
12		12	Shisham	1.18	8		Right		
13		13	Shisham	0.84	5		Right		
14		14	Shisham	0.78	7		Right		
15		15	Shisham	0.81	5		Right		
16		16	Shisham	0.93	7		Right		
17		17	Shisham	1.19	9		Right		
18		18	Shisham	1.08	6		Right		
19		19	Shisham	1.04	7		Right		
20		20	Shisham	1.09	8		Right		
21		21	Shisham	1.16	9		Right		
22		22	Shisham	1.17	9		Right		
23		23	Babul	1.06	5		Right		

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया।

Site verification done with range officer as on date. 10.08.20.

गया बिहार
सही नम्बर 45 से 23 पेड़

राजीवरंजन

10.08.2020

पत्रांकः– वन भूमि–57 / 2021...................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक.........................

विषय :– गया जिलान्तर्गत 400KV D/C नार्थ कर्णपुरा–गया ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4370 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत 400KV D/C नार्थ कर्णपुरा–गया लाईन का निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4370 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव सहायक प्रबंधक, मे० नार्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लि०, राँची द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित परियोजना का निर्माण झारखंड राज्य के चतरा जिलान्तर्गत टनडवा अंचल ग्रिड से बिहार राज्य के गया जिलान्तर्गत बोधगया के बारा पावरग्रिड में जोड़े जाने हेतु किया जा रहा है। विषयांकित परियोजना निर्माण में 27 वृक्षों के पुर्नस्थापन प्रस्तावित है। इस प्रकार परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन सन्निहित नहीं है। ट्रांसमिशन लाईन के कोरिडोर निर्माण के क्रम में कम–से–कम वन भूमि का अपयोजन हो, इसका ध्यान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रखा गया है एवं इसे गौतम बुद्ध वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र से (4 कि०मी० दूर) अलग रखा गया है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या–400 (ई०), दिनांक–31.12.1996 तथा अधिसूचना संख्या–C/F 17010/55-1550 R दिनांक–25.04.1955 एवं अधिसूचना संख्या–C/PF 10148/52-23 R दिनांक–02.01.1953 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है। विषयांकित परियोजना में 5.4370 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है, जिसमें किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	वानस्पतिक घनत्व
1	गया	5.4370	0	0.45
	कुल	5.4370	0	

कुल–5.4370 हे० वन भूमि अपयोजन के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र लिए निर्गत नहीं किया गया है तथापि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– 11–43 / 2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में उक्त FRA, 2006 प्रमाण–पत्र को सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के समय उपलब्ध कराने की शर्त के साथ प्रस्ताव स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 5.4370 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 10.8740 हे0 अर्थात 11.00 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल गया के गया प्रक्षेत्र अन्तर्गत बेला PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 5.4370 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 43,65,911/–(तेतालिस लाख पैसठ हजार नौ सौ ग्यारह रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 5.4370 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडलान्तर्गत 11 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 24,71,457/–(चौबीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ सन्तावन) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–57/2021................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/ सहायक प्रबंधक, मे० नार्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–57/2021 388 (ई)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 14/06/21

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

14/6/21
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

VR S One-195

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 5.4370 ha. forest land for construction of 400KV D/C North Karnpura-Gaya Transmission Line in Gaya District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Signature:- (Mokhtarul Haque)

Date:- 14/6/21

Place:- Patna

Name of Designation:-

Official Seal:- Advisor
Environment & Forest Department
Bihar, Patna